न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस
राजस्व वाद प्रकरण Gems No. 2019/00208
दायरा तिथि :12.03.2019
निर्णय दिनांक: 07-02-2024

वादीगण:– स्व. मुलाराम पुत्र वगताजी के वारिसान्–

1. शंकरलाल पुत्र मुलाजी
2. हुकमीचन्द पुत्र मुलाजी
3. गुलाबचन्द पुत्र मुलाजी
4. स्व खुमाराम पुत्र मुलाजी के का0मु0 वारिसान्
   4/1 भंवरलाल पुत्र खुमाजी
   4/2 गजरो बाई पत्नि स्व खुमाजी तमाम जाति से मेघवाल
   निवासीगण सेवतलाव तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. मांगीलाल पुत्र राईगरामजी
2. गोगाराम पुत्र राईगरामजी तमाम जाति से मेघवाल
   निवासीगण सेवतलाव तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

उपस्थिति:–

1 श्री गणपतलाल चौधरी , श्री दुदाराम चौधरी ............... अभिभाषक वादीगण की ओर से
2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय।

–:: निर्णय ::– दिनांक : 07-02-2024

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी मुलाराम ने ग्राम सेवतलाव पटवार हल्का सेवतलाव तहसील बाली में स्थित भूमि गत खसरा नंबर 561/11 रकबा चार बीघा सत्रह बिस्वा एवं खसरा नंबर 562 रकबा चार बीघा बारह बिस्वा कुल रकबा ग्यारह बीघा आठ बिस्वा किस्म बारानी दोयम भूमि वादी को तारिख 30.08.1970 को राजस्व क्रमांक 509 के जरिये आवंटीत की जाकर वादी गुला के नाम नामांतरकरण सं0 283 दिनांक 04.09.1975 स्वीकृत किया गया। हाल सेटलमेंट संवत 2037 के बाद मौका स्थिति अनुसार बने हाल खसरा नंबर 906 रकबा 0.57 हैक्टर किस्म बारानी दोयम होना जाहिर करते हुए उपरोक्त भूमि की घोषणा खातेदारी के साथ प्रतिवादीगण के विरूद्ध सार्वकालिका निषेधाज्ञा का वाद पेश किया। अपने वादपत्र में वादी द्वारा इसका आधार यह बताया कि वादी को ग्राम सेवतलाव पटवार हल्का सेवतलाव के पुराने खसरा नंबर 561/11 व 562 कुल रकबा ग्यारह बीघा आठ बिस्वा भूमि आवंटन की थी। जिस आवंटन का नामान्तरकरण सं. 283 दिनांक 04.09.1975 वादी के पक्ष में स्वीकृत किया गया। भूमि आवंटन के समय भू-प्रबंध की कार्यवाही विचाराधीन होने से वादी को आवंटन सुदा भूमि के नामान्तरकरण का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं हो सका तथा आवंटित भूमि का कब्जा वादी को अंदाज से बताया गया जिस पर वादी ने कब्जा प्राप्त किया वादी को कब्जा सुपुर्द किया उस भूमि से पश्चिम दिशा की तरफ स्व राईग पुत्र गला को भी भुमि आवंटित की गई जिसको भी बिना लंबाई के मौके पर अंदाज से कब्जा सुपुर्द किया। वादी अपनी आवंटन सुदा भूमि पर काश्त करता आ रहा है एवं हाल खसरा नंबर 906 रकबा 0.57 हैक्टर किस्म बारानी दोयम वादी के कब्जे में एवं खसरा नंबर 900 रकबा 0.44 हेक्टर किस्म बारानी दोयम प्रतिवदीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। हाल सेटलमेंट के दौरान प्रतिवादीगण में सेटलमेंट कर्मचारीयों से मिलावट कर वादी के कब्जे की भूमि को प्रतिवादीगण ने अपने नाम से दर्ज करा दी एवं खतौनी बंदोबस्त संवत 2037 से 2056 में स्व राईग का नाम दर्ज करा दिया जबकि हाल खसरा नंबर 906 पर वादी का कब्जा काश्त सन् 1970 से चला आ रहा है इस भूमि से मौके से बेदखल करने की धमकी देने व खातेदार नही मानने के कारण वादी मुला ने इस न्यायालय में वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया था जो वादी का वाद तारीख 21.05.2015 को राजस्व-लोक अदालत शिवीर शिवतलाव में विड्रॉवल प्रार्थना पत्र के जरिये खारिज किया जिस आदेश को खारिज करने हेतू धारा 229 आरटीएक्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर रिव्यु करने का निवेदन किया जो राजस्व विविध प्रकरण सं0 33/2016 बअनवान शंकरलाल बनाम मांगीलाल वगैरा दर्ज हुआ एवं पक्षकारों को तलब कर, सुनवाई का अवसर देकर न्यायालय के आदेश दिनांक 12.03.2019 के जरिये पुनः सुनवाई में लिया गया जो पुनः राजस्व वाद 24/2019 दर्ज किया गया। प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा जवाबदावा पेश करने हेतू कई अवसर दिये गये लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब पेश नही किया गया जिस कारण तारिख 04.03.2020 को प्रतिवादीगण के जवाबदावा का अवसर समाप्त किया गया, साथ ही उसी दिन अधिवक्ता प्रतिवादी दिनेश माथुर ने नो इंस्ट्रक्शन प्लीड किये जिस पर पत्रावली शहादत वादी हेतू मुकर्रर की गई। वादी ने अपनी तरफ से पीडब्लू-01 शंकरलाल का शपथ पत्र तारिख 21.12.2020

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज

लगातार....02

**राजस्व वाद प्रकरण Case No. 2013/2008**

**अन्दाज स्व. मूला के कामु. शंकरलाल बनाम मोतीलाल वगैरह**

**अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

को पेश किया एवं बयान करवाए साथ ही वादी की तरफ से पीडब्लू–02 भीमाराम का शपथपत्र में शपथ पत्र तारिख 21.03.2021 को पेश कर बयान करवाए एवं वादी ने अपनी शहादत पूर्ण की। उपरोक्त वाद मुला पुत्र वगताजी ने तारिख 19.05.2008 को पेश किया था जिसकी मृत्यु होने पर उसके कामु. रेकर्ड पर न्यायालय के आदेश दिनांक 29.05.2012 द्वारा लिये गये जो वर्तमान में वादीगण है। वादीगण की शहादत के बाद पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होने से वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वादीगण की बहस पर मनन के पश्चात प्रकरण में कोई विवाद बिंदु नहीं बनाया गया था लेकिन न्यायालय वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध खातेदार घोषित कर स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर सकता है इस बिन्दु पर रेकर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया । वादीगण के द्वारा पेश दस्तावेज प्रदर्श–01 नामांतरकरण सं0 283 दिनांक 04.09.1975 के जरिये वादीगण के पिता मुला पुत्र वगता जरिये आवंटन को खसरा नंबर 581/11 व 582 कुल रकबा ग्यारह बीघा आठ बिस्वा आवंटन होने से नामांतरकरण भरा जाकर स्वीकृत किया गया। प्रदर्श–02 खसरा गिरदावरी संवत 2038 से 2042 में उपरोक्त पुराने खसरा नंबरों में वादी मुला को भूमि आवंटन का इन्द्राज दर्ज है। इससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुला के कब्जा व खातेदारी की रही है। इस भूमि के हाल खसरा नंबर 906 रकबा 0.57 हैक्टर प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है जिसको प्रदर्श–03 में दर्शाया गया है जिस भूमि पर वादीगण अपना कब्जा बताते है इस बाबत मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया तो स्पष्ट है कि हाल खसरा नंबर 906 रकबा 0.57 हैक्टर पुराने खसरा नंबर 581मी व पुराने खसरा नं 582मी से बनना दर्शाए गए है। उपरोक्त पुराने खसरा नंबर वादीगण के पिता के नाम आवंटन शुदा भूमि है जिसकी तस्दीक प्रदर्श–01 नामांतरकरण, प्रदर्श–02 खसरा गिरदावरी से होती है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित है कि हाल खसरा नंबर 906 पुराने खसरा नंबर 581 व 582मी से बना है जो वादीगण के पिता को आवंटन शुदा भूमि है जिस पर वादीगण का कब्जा है इस बाबत वादीगण द्वारा अपनी तरफ से पीडब्लू– 01 से शंकरलाल व पीडब्लू–02 भीमाराम के बयान रेकर्ड पर मौजूद है। इस प्रकार संपूर्ण दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों से वादीगण यह साबित करने में सफल हुए है कि वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 906 रकबा 0.57 हैक्टर किस्म बारानी दोयम वादीगण की कब्जा शुदा आवंटन शुदा भूमि है जिस में हाल सेटलमेंट के समय प्रतिवादीगण का नाम दर्ज किया गया है जो गलत दर्ज किया गया है। जिस भूमि के खातेदारी हक वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है एवं इस भूमि से वादीगण को प्रतिवादीगण बेदखल नहीं करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा भी वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है।

–: निर्णय :–

इस प्रकार सरहद मौजा संदलाव तहसील बाली की कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 906 रकबा 0.57 हैक्टर किस्म बारानी दोयम वादीगण की कब्जा शुदा आवंटन शुदा भूमि है जिस में हाल सेटलमेंट के समय प्रतिवादीगण का नाम दर्ज किया गया है जो गलत दर्ज किया गया है। जिस भूमि के खातेदारी हक वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है एवं इस भूमि से वादीगण को प्रतिवादीगण बेदखल नहीं करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा भी वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी होने से इस भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण के नाम घोषित की जा रही खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण दखलन्दाजी नहीं करे इस हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 188 टिनेंसी एक्ट के तहत सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, संदलाव को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 07-02-24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली (जिला–पाली) राज.

न्यायालय उप–खण्ड अधिकारी
बाली जिला–पाली

# डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

**वादीगणः–** स्व. मुलाराम पुत्र वगताजी के वारिसान्–

1 शंकरलाल पुत्र मुलाजी
2 हुकमीचन्द पुत्र मुलाजी
3 गुलाबचन्द पुत्र मुलाजी
4 स्व खुमाराम पुत्र मुलाजी के का0मु0 वारिसान्
4/1 मंवरलाल पुत्र खुमाजी
4/2 गजरो बाई पत्नि स्व खुमाजी तमाम जाति से मेघवाल
निवासीगण सेवतलाव तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

**बनाम**

**प्रतिवादीगण :–**

1 मांगीलाल पुत्र राईंगरामजी
2 गोगाराम पुत्र राईंगरामजी तमाम जाति से मेघवाल
निवासीगण सेवतलाव तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

**उपस्थितिः–**

1 श्री गणपतलाल चौधरी , श्री दुदाराम चौधरी ..... अभिभाषक वादीगण की ओर से
2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय।

**राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 24/2019 Gcms No 2019/00208**
अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादग्रस्त भूमि सरहद मौजा सेवतलाव तहसील बाली की कृषि भूमि हाल खसरा नबर 906 रकबा 0.57 हैक्टर किस्म बारानी दोयम वादीगण की कब्जा सुदा आवंटन सुदा भूमि है जिस में हाल सेटलमेंट के समय प्रतिवादीगण का नाम दर्ज किया गया है जो गलत दर्ज किया गया हैं। जिस भूमि के खातेदारी हक वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है एवं इस भूमि से वादीगण को प्रतिवादीगण बेदखल नही करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा भी वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी होने से इस भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण के नाम घोषित की जा रही खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण दखलन्दाजी नहीं करे इस हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्व धारा 188 टिनेंसी एक्ट के तहत सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, सेवतलाव को लिखा जांवे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो।

(भागीरथ राम)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली